

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- एफ. 26(4)()/QI/ICDS/11/ 5026

जयपुर, दिनांक: 3-1-18

महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य सेवा के प्रशिक्षु बाल विकास परियोजना अधिकारियों का 18 दिवसीय संस्थानिक प्रशिक्षण दिनांक 08.जनवरी, 2018 से 25 जनवरी, 2018 तक आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। एतद् राजस्थान राज्य सेवा के निम्नलिखित प्रशिक्षु बाल विकास परियोजना अधिकारियों का 18 दिवसीय विभागीय संस्थानिक प्रशिक्षण दिनांक 08.01.2018 से 25.01.2018 तक एच.सी.एम. रीपा में आयोजित होगा।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	परियोजना
1.	सुरज्ञान सिंह यादव/धम्ला राम यादव	राजगढ़ (अलवर)
2.	अशोक कुमार/छोना राम	जालौर
3.	विपुल जोशी/हरिशंकर जोशी	झाड़ौल उदयपुर
4.	शक्ति सिंह शेखावत/बलदेव सिंह शेखावत	श्रीगंगानगर ग्रामीण
5.	अशोक कुमार शर्मा/लाल चन्द्र शर्मा	फागी (जयपुर)
6.	मनोरमा शर्मा/सत्य नारायण शर्मा	बस्सी जयपुर
7.	भागीरथ चौधरी/हीरा राम चौधरी	जैतारण (पाली)
8.	अर्चना व्यास/रविशंकर व्यास	डीडवाना (नागौर)
9.	मोनिका सिहाग/आर.एस. सिहाग	नीमराणा (अलवर)
10.	राजेन्द्र सिंह घोसल्या/झाबर सिंह	धोंद (सीकर)

उक्त प्रशिक्षण प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 5:30 बजे तक आयोजित होंगे जिसमें सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है।


आयुक्त


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 26(4)()/QI/ICDS/11/ 5027-62

जयपुर, दिनांक: 3-1-18

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, आईसीडीएस, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. श्रीमती विभा शर्मा, प्रभारी अधिकारी (योजना) एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. उपनिदेशक, प्रशासन, आईसीडीएस, जयपुर।
6. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....
7. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
8. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मबावि.....
9. रक्षित पत्रावली


उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।